पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 12 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-11.04.2024

दिनांक 10/11.04.2024 को थाना मड़ियांव 01, सरोजनीनगर 03, नगराम 02, गाजीपुर 01, इटौंजा 03, मदेयगंज 01, आशियाना 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना मदेयगंज 01, विकासनगर 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 12 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना विभूतिखण्ड:- आज दिनांक 11.04.2024 को थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री धर्म प्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामरतन निवासी ग्राम सीता राम खेडा पोस्ट हिलौली थाना मौरावां जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि राजेश यादव पुत्र रामचन्द्र गांव बेढौली सौखोर चौराहा थाना बडहल गंज जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश द्वारा वादी की विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर वादी से 1,10,000/-रुपये लिए और वादी के अन्य 07 साथियों से भी रुपये लिए जिनके नाम निम्नवत है। 1.शिव प्रकाश-73,500/-रुपये, 2.अशोक कुमार 80,000/-रुपये 3.अनुज कुमार-80,000/-रुपये 4.मुनेस्वर 80,000/-रुपये 5.विनोद कुमार 80,000/-रुपये 6. पवन कुमार-80,000/-रुपये 7.महावीर 80,000/- रुपये भी लिये। इस प्रकार वादी व अन्य लोगों कुल 08 लोगों से कुल 6,63,500/- रुपये लिए जिनके बिल वादी के पास मौजूद है। **इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 133/2024 धारा 406/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना माल:- आज दिनांक 11.04.2024 को थाना माल द्वारा बताया गया कि वादी श्री चित्रांश द्विवेदी s/o सतीश द्विवेदी निवासी ग्राम जिंदाना पोस्ट-आंट गढी सौरा, माल लखनऊ ने थाना माल पर सूचना दिया कि दिनांक 04.04.2024 को वादी के फोन पर टेलीग्राम एप पर मैसेज के द्वारा 20,000/- रुपये की धनराशि के लाभ का प्रलोभन देते हुए बिटक्वाइन में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 3,06,000/- रूपये (तीन लाख छह हजार) की मांग की गई, जिसके लिए वादी को भिन्न भिन्न 14 UPI ID पर धनराशि जमा करने को कहा गया, जिस पर वादी द्वारा दिनांक 05.04.2024, दिनांक 06.04.2024, व दिनांक 07.04.2024 में उपरोक्त राशि जमी की गई। उसके बाद भी वादी को फॉडस्टर द्वारा 4,40,000/- रुपये (चार लाख चालीस हजार) अतरिक्त धनराशि की मांग की गई व राशि न जमा करने पर पहले की धनराशि वापस न करने की धमकी दी जा रही है। **इस सूचना पर थाना माल पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 420 भादवि व 66-डी सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पारा:-दिनांक 11.04.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि श्री सती कुशवाहा पुत्र स्व0 जवाहिर कुशवाहा निवासी-मायापुरम डिप्टीखेड़ा थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 10/11.04.2024 की रात्रि में उसके बेटे अखिलेश कुशवाहा उम्र करीब 28 वर्ष धोती के फंदे से फांसी लगा लिया है। सुबह करीब 05.00 बजे जब सब सो रहे थे तो उसकी बहु ममता ने आकर बताया कि अखिलेश ने जीने के नीचे साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर उ0नि0श्री रामदेव गुप्ता मो0-6387379468 थाना पारा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात की है। मृतक ओला कम्पनी में गाड़ी चलाता था। मृतक के 02 बेटियां है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 12 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-11.04.2024

दिनांक 10/11.04.2024 को थाना मड़ियांव 01, सरोजनीनगर 03, नगराम 02, गाजीपुर 01, इटौंजा 03, मदेयगंज 01, आशियाना 01, अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में थाना मदेयगंज 01, विकासनगर 01, अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 12 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू0 में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना विभूतिखण्ड:- आज दिनांक 11.04.2024 को थाना विभूतिखण्ड द्वारा बताया गया कि वादी श्री धर्म प्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामरतन निवासी ग्राम सीता राम खेडा पोस्ट हिलौली थाना मौरावां जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश ने थाना विभूतिखण्ड पर सूचना दिया कि राजेश यादव पुत्र रामचन्द्र गांव बेढौली सौखोर चौराहा थाना बडहल गंज जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश द्वारा वादी को विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर वादी से 1,10,000/-रुपये लिए और वादी के अन्य 07 साथियों से भी रुपये लिए जिनके नाम निम्नवत है। 1.शिव प्रकाश-73,500/-रुपये, 2.अशोक कुमार 80,000/-रुपये 3.अनुज कुमार-80,000/-रुपये 4.मुनेस्वर 80,000/-रुपये 5.विनोद कुमार 80,000/-रुपये 6. पवन कुमार-80,000/-रुपये 7.महावीर 80,000/- रुपये भी लिये। इस प्रकार वादी व अन्य लोगों कुल 08 लोगों से कुल 6,63,500/- रुपये लिए जिनके बिल वादी के पास मौजूद है। **इस सूचना पर थाना विभूतिखण्ड पर मु0अ0सं0 133/2024 धारा 406/420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना माल:- आज दिनांक 11.04.2024 को थाना माल द्वारा बताया गया कि वादी श्री चित्रांश द्विवेदी s/o सतीश द्विवेदी निवासी ग्राम जिंदाना पोस्ट-आंट गढी सौरा, माल लखनऊ ने थाना माल पर सूचना दिया कि दिनांक 04.04.2024 को वादी के फोन पर टेलीग्राम एप पर मैसेज के द्वारा 20,000/- रुपये की धनराशि के लाभ का प्रलोभन देते हुए बिटक्वाइन में इन्वेस्ट करने के लिए लगभग 3,06,000/- रूपये (तीन लाख छह हजार) की मांग की गई, जिसके लिए वादी को भिन्न भिन्न 14 UPI ID पर धनराशि जमा करने को कहा गया, जिस पर वादी द्वारा दिनांक 05.04.2024, दिनांक 06.04.2024, व दिनांक 07.04.2024 में उपरोक्त राशि जमा की गई। उसके बाद भी वादी को फॉडस्टर द्वारा 4,40,000/- रुपये (चार लाख चालीस हजार) अतरिक्त धनराशि की मांग की गई व राशि न जमा करने पर पहले की धनराशि वापस न करने की धमकी दी जा रही है। **इस सूचना पर थाना माल पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 420 भादवि व 66-डी सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना पारा:-दिनांक 11.04.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि श्री सती कुशवाहा पुत्र स्व0 जवाहिर कुशवाहा निवासी-मायापुरम डिप्टीखेड़ा थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 10/11.04.2024 की रात्रि में उसके बेटे अखिलेश कुशवाहा उम्र करीब 28 वर्ष धोती के फंदे से फांसी लगा लिया है। सुबह करीब 05.00 बजे जब सब सो रहे थे तो उसकी बहु ममता ने आकर बताया कि अखिलेश ने जीने के नीचे साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर उ0नि0श्री रामदेव गुप्ता मो0-6387379468 थाना पारा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक के पास मिले सुसाइड नोट में मृतक ने अपनी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात की है। मृतक ओला कम्पनी में गाड़ी चलाता था। मृतक के 02 बेटियां है।

थाना बिजनौर:- आज दिनांक 11.04.2024 को थाना बिजनौर द्वारा बताया गया कि वादी श्री राम भरोसे पुत्र भल्लर रैदास निवासी जालिम खेड़ा माती थाना बिजनौर जनपद लखनऊ ने थाना बिजनौर पर सूचना दिया कि वादी का खाता बिजनौर चौराहा पर स्थित बैंक आईडीबीआई शाखा में है। जिसमें लगभग 80,00,000/- रुपया वादी ने अपनी जमीन बेचकर जमा किया था। वादी ने कभी भी बैंक से एटीएम नहीं लिया है। वादी कम पढ़ा लिखा होने के कारण हस्ताक्षर करके बैंक से पैसा निकालता है तथा वादी की पासबुक वादी के पास है। दिनाक 08/04/2024 को समय करीब 2.00 बजे वादी आईडीबीआई बैंक में अपने खाते पर ब्याज चढ़वाने हेतु गया, तब बैंक बैंककर्मी द्वारा बताया कि वादी के उपरोक्त खाते से विभिन्न तिथियों में 40,00,000/- रुपया निकाला गया है। जब वादी ने बैंक के बाबू से पूछा कि पैसे किसने निकाला है, तब उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया और कहा पहले थाने जाकर रिपोर्ट कर दो। वादी को जानकारी मिली है कि वादी का पैसा वादी के गांव का ही रहने वाला पिंटू पुत्र रामसेवक यादव निवासी जालिम खेड़ा माती थाना बिजनौर जनपद लखनऊ के द्वारा निकाला गया है। पिन्टू अक्सर वादी के पास आकर बैठता था और एक दिन मेरा आधार भी ले गया था। उसके द्वारा वादी के खाते में लगा मोबाइल नं० बदलाकर दूसरा मोबाइल नं0 लगवाकर एटीएम कार्ड भी बनवाया गया है और उसी से वादी के खाते से कुल 40,00,000/- रुपये निकाल लिया गया है। इसमें इसके कोई और भी साथी होगें। जब वादी ने पिन्टू से पूछा तो पिन्टू द्वारा मना करते हुए वादी को जान से मारने की धमकी दी। **इस सूचना पर थाना बिजनौर पर मु0अ0सं0 102/2024 धारा 420/406/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**